जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

भवन मानचित्र समिति द्वितिय (सी.पी.सी.) की बैठक 70/2000 दिनांक 22.8.2000 को प्रातः 11 जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण :–

समिति ने निम्न सदस्यों ने बैठक में भाग लिया
1. श्री के.पी. सिंघल, सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।
2. श्री एस.सैन, निदेशक आयोजना, जविप्रा, जयपुर ।
3. श्री एस.एल. माथुर निदेशक अभियात्रिकी , जविप्रा, जयपुर ।
4. श्री पी.आर.शर्मा, निदेशक वित्त, जविप्रा, जयपुर ।
5. श्री के.सी.मिश्रा, वरिष्ठ नगर नियोजक, सी.पी.एण्ड प्रोजेक्ट, जविप्रा जयपुर ।

सदस्यो के अलावा निम्न अधिकारीगण बैठक में उपस्थित रहे ।
1. श्री पी.अरविन्द, वरिष्ठ नगर नियाजक (एम.पी.) जविप्रा, जयपुर ।
2. श्री एम.के गुप्ता उपायुक्त जोन ए–2, जविप्रा, जयपुर ।
3. श्री हीरालाल वर्मा, उप नगर नियोजक (सी.पी.) जविप्रा, जयपुर ।
4. श्री एम. अयुब, सहायक नगर नियोजक (सी.पी.) जविप्रा, जयपुर ।

1. पूर्व बैठक संख्या 57/2000 दिनांक 23.6.2000 एवं 59/2000 दिनांक 30.6.2000 की कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई ।

2. एजेण्डा नं. 1 :– एस्कोर्ट हार्ट इन्स्टीटयूट एवं रिसर्च सेन्टर को जवाहर लाल नेहरू मार्ग पर आंवटित भूमि के भाग का भू उपयोग उपान्तरण एवं सेक्टर रोड बाबत ।

प्रकरण पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित भूउपयोग परिवर्तन के लिए आपत्ति/ सुझाव हेतु अधिसूचना जारी की गई थी तथा 30 दिवस की अवधि में कोई सुझाव / आपत्ति प्राप्त नहीं हुए है अतः प्रकरण समिति की अभिशंषा के साथ आगामी होने वाली कार्यकारी समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ एवं नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जावे ।

3. एजेण्डा नं. 2 :– भूखण्ड संख्या ए सी –2 बनीपार्क, कलेक्ट्रेठ सर्किल जयपुर का आवासीय से व्यावसायिक भू उपयोग उपान्तरण बाबत प्रकरण । आवेदक श्री उपेन्द्र बोथरा मेसर्स यूनाईटेड इन्वेस्टर्स ।

प्रकरण पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित भू उपयोग परिवर्तन के लिए आपत्ति / सुझाव हेतु अधिसूचना जारी की गई थी तथा 30 दिवस की अवधि में कोई सुझाव / आपत्ति प्राप्त नहीं हुए है अतः प्रकरण समिति की अभिशंषा के साथ आगामी होने वाली कार्यकारी समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ एवं नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जावे ।

4. एजेण्डा नं. 3 :– श्री कुशल चन्द बढेर , डाइरेक्टर रत्नालय होटल्स एण्ड डवलपमेन्ट प्रा. लि. के प्लाट नं. 27 हरी निवास मदरामपुरा अजमेर रोड के पार्ट का सिनेमा हेतु भू उपयोग उपान्तरण बाबत ।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया बाद विचार विमर्श निर्णय लिया गया कि अजमेर रोड पर उक्त स्थल पर सिनेमा हेतु भू उपान्तरण किया जाना उचित नहीं है । साथ यह निर्णय लिया गया कि प्रार्थी को निर्देश दिये जावे कि सिनेमा उपयोग हेतु चाही अनापत्ति को वापस लेवे एवं व्यावसायिक उपयोग अनुमत करने का प्रार्थना पत्र जविप्रा में लिखित में प्रस्तुत करे । यदि आवेदक इससे सहमत हो तो आवेदक का पत्र प्राप्त होने पर सिनेमा की अनापत्ति का प्रकरण जिला कलेक्टर को रिजेक्ट कर

लौटा दिया जावे, तथा निर्णय अनुसार जेडीए एक्ट की धारा 25 (3) की अधिसूचना आपत्ति / सुझाव प्राप्त करने हेतु जारी की जावे ।

5. एजेण्डा नं. 4 :– मैसर्स गुडलक कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. मैसर्स सुन्दरम कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. व प्रेसीयर्स कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. के खसरा नं. 244/2 , 246 /2 ग्राम मदराम पुरा तहसील जयपुर अजमेंर रोड के पार्ट का व्यावसायीक हेतु भू उपयोग उपान्तरण बाबत।

प्रकरण पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित भू उपयोग परिवर्तन के लिए आपत्ति / सुझाव हेतु अधिसूचना जारी की गई थी तथा 30 दिवस की अवधि में कोई सुझाव आपत्ति प्राप्त नहीं हुए है । अतः प्रकरण समिति की अभिशंषा के साथ आगामी होने वाली कार्यकारी समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ एवं नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जावे ।

6. एजेन्डा न 5 :– खसरा न 1086 मिन ग्राम बस्सी, तहसील बस्सी मे 1800 वर्ग गज भूमि का भू उपयोग सिनेमा हेतु परिवर्तन बाबत ।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया तथा निर्णय लिया गया कि समिति की आगामी बैठक मे आवेदक एवम् ग्राम पंचायत बस्सी के सरपंच को व्यक्तिगत रूप से समिति के समक्ष बुलाया जावे । व्यक्तिगत सुनने के पश्चात ही निर्णय लिया जावेगा। तदानुसार प्रकरण पुनः समिति के समक्ष रखा जावे ।

7. एजेन्डा नं. 6 :–मैसर्स ड्यूफुल लेबोरेटरी प्रा लि खसरा न 336 मिन 338 मिन व 401/1 मिन ग्राम बेनाडा मय दौलतपुरा तहसील आमेर मे से 6000 वर्ग गज भूमि औधौगिक (दवाई उधोग) प्रयोजनार्थ भू उपान्तरण बाबत ।

विचार विमर्श के उपरान्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि आवेदक को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु समिति के समक्ष आगामी बैठक मे बुलाया जावे । इसके उपरान्त ही इस पर निर्णय लिया जावेगा ।तदानुसार प्रकरण पुनः समिति के समक्ष रखा जावे ।

8. नीतिगत निर्णयः– उपरोक्त के अलावा यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य मे प्रत्येक प्रकरण मे सम्बन्धित आवेदको को पूर्व मे ही होने वाली बैठक की सूचना दी जावे ताकि आवश्यकता पडने पर समिति द्वारा आवेदक का पक्ष भी सुना जा सके ।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई ।

Sd/-

वरिष्ठ नगर नियोजक
(सीपी एण्ड प्रोजेक्ट्स)
जविप्रा जयपुर

क्रमांकःजविप्रा/एस.टी.पी. (सी.पी.)/सी.लू./2000/डी–100
दिनांकः 9-10-2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :–
1 वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा जयपुर ।
2 निजी सचिव सचिव, जविप्रा जयपुर ।
3 निदेशक (आयोजना/ विधि/ अभियान्त्रिकी /वित्त)जविप्रा जयपुर ।
4 अतिरिक्त आयुक्त (भूमि एवम योजना) जविप्रा जयपुर ।
5 वरिष्ठ नगर नियोजक (एम पी)जविप्रा जयपुर ।
6 उपायुक्त जोन .....

06.10.20

वरिष्ठ नगर नियोजक
(सीपी एण्ड प्रोजेक्ट्स)
जविप्रा जयपुर